प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 24 अक्टूबर, 2018

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी.ओ.-307/वि.का./प्र.मं.आ.यो.ग्रा. दिनांक 18.05.2018, पत्रां-1175/वि.का./पत्रा.सं.-(08)18, दिनांक 15 जून, 2018 एवं जीओ-453/वि.का./प्र.मं.आ.यो.ग्रा. /2018, दिनांक-20.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर-7.3 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार प्रदेश स्तर, (आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर) एवं जनपद- लखनऊ, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, गोरखपुर तथा मुरादाबाद में **Programme Management Unit (PMU)** के अन्तर्गत आउट सोसिंग/संविदा पर कर्मी रखने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन हेतु निम्न विवरण के अनुसार अस्थायी रूप से पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है:-

(1) प्रदेश स्तर (आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर) के पद -

क्र0	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	पदों की संख्या	देय मानदेय प्रतिमाह प्रतिपद (रूपये में)	कुल वार्षिक मानदेय (रूपये में)
1	तकनीकी विशेषज्ञ(आई0टी0)	बी0टेक (सी0एस0/आई0टी0)	02 वर्ष	01	28,000/-	336000
2	तकनीकी विशेषज्ञ (सिविल)	बी0टेक0 सिविल	भवन निर्माण का 02 वर्ष का अनुभव	01	28,000/-	336000
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बी0सी0ए0/पी.जी.डी.सी.ए./ओ0लेवल/सी सीसी (DOEACC)	02 वर्ष	02	15000/-	336000
4	एकाउन्ट असिस्टेंट	बी0काम	02 वर्ष	01	15000/-	180000
5	सहयोगी (चतुर्थ श्रेणी)	8 वीं पास	-	04	10000/-	480000
			कुल पद	**09**		1668000

क्रमशः-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) जनपद स्तर के पद-

क्र0	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	पदों की संख्या	देय मानदेय प्रतिमाह प्रतिपद (रूपये में)	कुल वार्षिक मानदेय (रूपये में)
1	तकनीकी विशेषज्ञ(आई0टी0)	बी0टेक (सी0एस0/आई0टी0)	02 वर्ष	01	28,000/-	336000
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बी0सी0ए0/पी.जी.डी.सी.ए./ ओ0लेवल/सीसीसी (DOEACC)	02 वर्ष	01	15000/-	180000
3	एकाउन्ट असिस्टेंट	बी0काम	02 वर्ष	01	15000/-	180000
4	सहयोगी (चतुर्थ श्रेणी)	8 वीं पास	-	01	10000/-	120000
			कुल पद	**04**		816000

(3) विकास खण्ड स्तर के पद *

क्र0	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	पदों की संख्या	देय मानदेय प्रतिमाह प्रतिपद (रूपये में)	कुल वार्षिक मानदेय (रूपये में)
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बी0सी0ए0/पी.जी.डी.सी.ए./ ओ0लेवल/सीसीसी (DOEACC)	02 वर्ष	01	15000/-	180000
3	एकाउन्ट असिस्टेंट	बी0काम	02 वर्ष	01	15000/-	180000
4	सहयोगी (चतुर्थ श्रेणी)	8 वीं पास	-	01	10000/-	120000
			कुल पद	**03**		480000

*** विकास खण्ड स्तर पर अस्थायी पदों को निम्नवत् भरा जायेगाः-**

1- 1-10 तक के विकास खण्ड वाले जनपदों में - 21 पद

2- 10 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में - 33 पद

(इस प्रकार पीएमएवाई-जी हेतु पी0एम0यू0 गठन हेतु एक जनपद में विकास खण्डों हेतु न्यूनतम 03 पद व अधिकतम 33 पदों को भरा जायेगा।)

शर्तें/प्रतिबन्ध

(1)प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन हेतु सृजित किये जा रहे पद पूर्णतयः अस्थायी होंगे जो योजना की अवधि तक के लिए होंगे।

(2)अस्थायी रूप से सृजित किये जा रहे पदों पर सेवा प्रदाता के माध्यम से/ आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही भरा जायेगा। सेवा प्रदाता का चयन ई-टेण्टरिंग के माध्यम से किया जायेगा।

(3)अस्थायी रूप से सृजित किये जा रहे पदों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के गठन में भरा जायेगा। योजना के पूर्ण/समाप्त होने के उपरान्त अस्थायी रूप से सृजित किये जा रहे पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे अर्थात जिन-जिन जनपदों में योजना पूर्ण/ समाप्त होती जायेगी उस जनपद के पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। किसी भी दशा में कार्य समाप्ति / पूर्ण होने के उपरान्त कर्मियों को किसी अन्य योजना में समायोजित/ समाहित/ स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)पदों पर आने वाले व्यय भार को योजना की कन्टीजेन्सी के मद से वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(5)सृजित किये जा रहे पदों की शैक्षिक योग्यता व अन्य अहर्ताओं आदि की पूर्ति/पुष्टि सुनिश्चित करते हुए भरे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसका दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(6)आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु पी0एम0यू0 के गठन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

(7)सेवा प्रदाता/आउट सोर्सिंग एजेन्सी से प्राप्त की जाने वाली सेवा अवधि एक वर्ष की होगी। उक्त एजेन्सी द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के संतोषजनक होने के दृष्टिगत दोनों पक्षों की सहमति से एक-एक वर्ष के लिए योजना की अवधि तक यथावश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकती है।

(8) शासन स्तर पर समीक्षा के दौरान यदि किसी भी समय उपरोक्त पदों की उपादेयता नहीं पायी जाती है, तो उक्त पदों को समाप्त/स्थगित किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार आपके द्वारा प्रेषित 05 जनपदों (लखनऊ, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, गोरखपुर एवं मुरादाबाद) के जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर पी0एम0यू0 के गठन के प्रस्ताव दिनांक 15.06.2018 की स्वीकृति उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित पदों की सीमा एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त यदि अन्य जनपदों/विकास खण्डों में पी0एम0यू0 के गठन की आवश्यकता पायी जाती है तो तद्नुसार परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्तानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पी0एम0यू0 के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकृत पदों को सेवा प्रदाता के माध्यम से/आउट सोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जायेंगे। इन पदों पर आने वाले व्यय भार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की कन्टीजेन्सी से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 27/2018/1073(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0 प्र0।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in